

बीमार की तहारत एंव नमाज़ के अहकाम

लेखक

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़
(रहिमहुल्लाह)

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी
सिद्दीक़ अहमद

www.islamhouse.com

1428-2007



अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अंति मेहरबान और दयालु है।

बीमार की तहारत और नमाज़ के अहकाम

बीमार की तहारत और नमाज़ के कुछ अहकाम से संबंधित यह संछिप्त बातें हैं।

अल्लाह तआला ने हर नमाज़ के लिए तहारत (पाकी हासिल करना) अनिवार्य किया है, क्योंकि नापाकी (अपवित्रता) को समाप्त करना और गंदगी को दूर करना -चाहे वह शरीर अथवा कपड़े अथवा नमाज़ पढ़ी जाने वाली जगह में हो- नमाज़ की शर्तों में से है।

जब मुसलमान नमाज़ पढ़ने की इच्छा करे तो उसके लिए ज़खरी है कि वह छोटी नापाकी से वुजू करे अथवा बड़ी नापाकी की अवस्था में गुस्त करे।

जो व्यक्ति पेशाब या टट्ठी से फारिग़ हुआ है उसके लिए वुजू करने से पहले पानी या पत्थर से इस्तिंजा करना अनिवार्य है ताकि उसे सम्पूर्ण सफाई व सुधराई प्राप्त हो जाये।

नीचे तहारत से संबंधित कुछ अहकाम बयान किए जा रहे हैं:

पेशाब और पाखाने के रास्ते से निकलने वाली हर चीज़ जैसे मूत्र और टट्ठी, के लिए पानी से इस्तिंजा करना अनिवार्य है, जो आदमी सोया हुआ था या उस से हवा खारिज हुई है उस पर इस्तिंजा नहीं है, उस पर केवल वुजू करना वाजिब है; क्योंकि इस्तिंजा करना नजासत को दूर करने के लिए मशरूअ है और यहाँ पर कोई नजासत नहीं है।

पत्थर से इस्तिंजा करना पानी से इस्तिंजा करने के समान है, और यह पत्थर या उसके समान किसी भी चीज़ से हो सकता है। इसके लिए तीन पत्थरों का होना अनिवार्य है; क्योंकि नवी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम से साबित है कि आप ने फरमाया:

((من استجمر فليوثر))

“जो पत्थर से इस्तिंजा करे वह ताक़ पत्थर इस्तेमाल करे।” (बुखारी व मुस्लिम)

तथा आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने फरमाया:

((إِذَا ذَهَبَ أَحَدٌ كَمْ إِلَى الْفَانِطِ فَلِيذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُسْتَطِيبُ بِهِنْ فَإِنَّهَا تَجْزِيَ عَنْهُ))

“जब तुम में से कोई व्यक्ति टट्टी के लिए जाए तो अपने साथ तीन पत्थर ले जाए जिन से वह पाकी हासिल करे, क्योंकि ये उसके लिए काफी होंगे।” (अबू दाऊद)

तथा आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने तीन पथर से कम से इस्तिंजा करने से रोका है। (मुस्लिम)

लीद-गोबर, हड्डी, खाने की चीज़ों और हर क़ाबिले एहतिराम चीज़ से इस्तिंजा करना जाईज़ नहीं है। श्रेष्ठ यह है कि आदमी पथर या उसके समान चीज़ों जैसे टिसू पेपर आदि से इस्तिंजा करने के बाद पानी का इस्तेमाल करे; इसलिए कि पथर का इस्तेमाल स्वयं नजासत को दूर कर देगा, और पानी नजासत के स्थान को पाक कर देगा, इस प्रकार यह अधिक तहारत का प्रतीक है।

आदमी को पानी से इस्तिंजा करने अथवा पथर या उसके समान चीज़ों से इस्तिंजा करने अथवा (पानी और पथर) दोनों से एक साथ इस्तिंजा करने की छूट है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं:

“नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम बैतुल खला
जाते तो मैं और मेरी ही तरह एक बच्चा
पानी का बर्तत और एक लाठी लेकर जाते,

चुनांचे आप पानी से इस्तिंजा करते।” (बुखारी व मुसिल्म)

और आईशा रजियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि उन्होंने औरतों के एक समूह से कहा: “तुम अपने पतियों को पानी से इस्तिंजा करने के लिए कहो, क्योंकि मैं उन से शर्म करती हूँ, अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ऐसा ही करते थे।” अर्थात् पानी से इस्तिंजा करते थे।” (त्रिमिज़ी ने इस हदीस को सहीह कहा है)

और अगर उन दोनों में से किसी एक पर बस करना चाहे तो पानी से इस्तिंजा करना सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि वह स्थान को पाक-साफ कर देता है और स्वयं नजासत को दूर कर देता और उसके निशान को मिटा देता है, और इस के अन्दर अधिक सफाई व सुथराई है। अगर वह केवल पत्थर ही से इस्तिंजा करने पर बस करे तो तीन पत्थर पर्याप्त (काफी) हैं यदि उन से स्थान की सफाई हो जाए, अगर इतने से काम न चले तो चौथा और पाँचवाँ पत्थर बढ़ा

ले, यहाँ तक कि स्थान साफ हो जाये और अफ़्ज़ल यह है कि ताक़ पर अन्त करे; इस लिए कि नबी سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((من استجمر فليوتر))

“जो पथर से इस्तिंजा करे वह ताक़ पथर इस्तेमाल करे।”

तथा दाहिने हाथ से इस्तिंजा करना जाईज़ नहीं है; क्योंकि सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी हदीस में फरमाते हैं:

“अल्लाह के पैग़ाम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न हमें इस बात से रोका है कि हम में से कोई आदमी अपने दाहिने हाथ से इस्तिंजा करे।”

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

لَا يمْسِكُنْ أَحَدٌ كَمْ ذَكَرْهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ
يَبْولُ وَلَا يَتَمْسَحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ

“तुम में से कोई भी पेशाब करते समय अपने शिशन को दाहिने हाथ से न पकड़े, और न ही दाहिने हाथ से मल-मूत्र की सफाई करे।”
(मुस्लिम)

यदि बायाँ हाथ कटा हुआ है, या टूटा हुआ है या किसी रोग आदि से पीड़ित है तो आवश्यकता के कारण वह अपने दाहिने हाथ से इस्तिंजा करे गा, और इस में कोई हरज की बात नहीं है, और अगर पथर और पानी दोनों से इस्तिंजा करे तो यह सर्वश्रेष्ठ और अति सम्पूर्ण है।

चूँकि इस्लामी शरीअत आसानी और सरलता पर आधारित है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उज्ज़ वाले लोगों पर उनके उज्ज़ के अनुसार आसानी पैदा कर दी है; ताकि वह बिना किसी कठिनाई और

तंगी के उसकी इबादत कर सकें, अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

“अल्लाह तआला ने दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी है।” (सूरतुल-हज्ज़:७८)

तथा फरमाया:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ﴾

﴿الْعُسْرَ﴾

“अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ तंगी नहीं चाहता है।” (सूरतुल बकरा: १८५)

तथा फरमाया:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا مَا أُسْتَطَعْتُمْ﴾

“तुम से जितना हो सके अल्लाह से डरो।”

(सूरतुत-तग़ाबुनः ٩٦)

तथा नवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

((إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطِعْتُمْ))

“जब मैं तुम्हें किसी बात का आदेश दूँ तो
अपनी ताक़त भर उसे करो।” (बुखारी)

तथा फरमाया:

((إِنَّ الدِّينَ يِسْرٌ))

“निःसन्देह दीन आसान है।” (बुखारी)

बीमार अगर अपनी बेबसी या बीमारी के बढ़ने या शिफायाबी में देर होने के डर से पानी से तहारत हासिल करने की ताक़त नहीं रखता इस प्रकार कि वह छोटी नापाकी से वुजू कर सके या बड़ी नापाकी से गुस्ल कर सके, तो ऐसी हालत में वह तयम्मुम करे गा, उसका तरीक़ा यह है कि अपनी दोनों हथेलियों को पाक मिट्टी पर एक बार मारे, फिर

अपनी अँगुलियों के अन्दरूनी भाग से अपने चेहरे का और अपनी हथेली के अन्दरूनी भाग से हथेली के बाहरी भाग का मसह करे। इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ﴾

مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمْسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

تَجِدُوا مَا إِنَّ فَتَيَّمَ مُؤْمِنًا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوهُا

﴿بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

“और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से किसी को पैख़ाना निकल आए या औरतों से हमबिस्तरी की हो और तुमको पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो यानी (दोनों हाथ मार कर) उससे

अपने मुँह और अपने हाथों का मसह कर लो।” (सूरतुल माईदा: ६)

जो व्यक्ति पानी इस्तेमाल करने से बेबस है उसका हुक्म पानी न पाने वाले आदमी के समान है। क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أُسْتَطِعْمُ﴾

“तुम से जितना हो सके अल्लाह से डरो।”
(सूरतुत-तग़ाबुन: १६)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने फरमाया:

“जब मैं तुम्हें किसी बात का आदेश दूँ तो अपनी ताकत भर उसे करो।” (बुखारी)

तथा आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया: “तुम्हारे लिए काफी था कि तुम अपने हाथ से इस तरह करते”, फिर आप ने अपने दोनों हाथों को ज़मीन

पर एक बार मारा, फिर उन से अपने चेहरे और दोनों हथेलियों का मसह किया। (बुखारी व मुस्लिम)

तयम्मुम केवल पाक मिट्टी से जाईज़ है जिस में गर्द व गुबार हो।

तथा बिना नीयत के तयम्मुम सहीह नहीं है; क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम का फरमान है:

“अमलों का दारो मदार नीयतों पर, और निःसन्देह हर व्यक्ति के लिए वही कुछ है जिस की उस ने नीयत की है।” (बुखारी)

तहाएत से संबंधित मरीज़ की अनेक हालतें हैं:

1. अगर उसकी बीमारी साधारण है जिस के होते हुये उसे पानी के इस्तेमाल करने से शरीर के किसी अंग के नष्ट होने, या भ्यानक बीमारी लगने, या शिफायाबी में विलम्ब होने, या तकलीफ बढ़ने, या किसी गम्भीर चीज़ के घटित होने, जैसे कि सिर दर्द, दाँत दर्द आदि का डर न हो, या उसके लिए बिना किसी हानि के गर्म पानी इस्तेमाल करना सम्भव हो

- तो ऐसे आदमी के लिए तयम्मुम करना जाईज़ नहीं है; इस लिए कि तयम्मुम का जाईज़ होना हानि को दूर करने के लिए है, और यहाँ उसके लिए कोई हानि नहीं है, और इस लिए भी कि उसके लिए पानी उपलब्ध है, अतः उस के लिए पानी इस्तेमाल करना अनिवार्य है।

2. अगर उसकी बीमारी ऐसी है जिस के होते हुये (पानी इस्तेमाल करने की अवस्था में) उसे जान जाने, या शरीर के किसी अंग के नष्ट होने, या किसी ऐसी बीमारी के घटित होने का डर हो जिस से जान जाने या शरीर के किसी अंग के नष्ट होने या किसी लाभदायक चीज़ के छूट जाने का भय हो-तो ऐसी अवस्था में उसके लिए तयम्मुम करना जाईज़ है; इस लिए कि अल्लाह तआला का फरमान है।

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿

“और अपने आप को तबाह व नष्ट न करो,
निःसन्देह अल्लाह तुम्हारे साथ बड़ा दयालू
है।” (सूरतुन-निसा: २८)

३. अगर उसकी बीमारी ऐसी है कि उसके होते हुये वह चलने फिरने की शक्ति नहीं रखता और न ही उसे कोई पानी देने वाला है- तो उसके लिए तयम्मुम करना जाईज़ है, अगर वह तयम्मुम की ताक़त नहीं रखता है तो दूसरा आदमी उसे तयम्मुम करा दे, अगर उसका शरीर, या कपड़ा, या विस्तर गंदगी से दूषित और लिप्त हो जाए और वह उसे दूर करने, या उस से पाकी हासिल करने में असमर्थ रहे - तो उसके लिए उसी हालत में नमाज़ पढ़ना जाईज़ है; क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أُسْتَطِعْتُمْ﴾

“तुम से जितना हो सके अल्लाह से डरो।”

(सूरतुत-तग़ावुनः ٩٦)

किन्तु उसके लिए किसी भी हालत में तहारत हासिल करने या नजासत दूर करने में असमर्थ होने के कारण नमाज़ को उसके समय से देर करना (टालना) जाईज़ नहीं है।

४. जिस आदमी के शरीर में कोई घाव या फोड़ा या फ्रेक्चर (हड्डी टूटी हुई) या ऐसी बीमारी हो कि उस के लिए पानी का इस्तेमाल हानिकारक हो- तो उस के लिए तयम्मुम करना जाईज़ है; इसकी दलीलें पीछे गुज़र चुकी हैं, और अगर उसके लिए अपने शरीर के स्वस्थ भाग को धुलना सम्भव है तो उसके लिए ऐसा करना अनिवार्य है, और शेष भाग के लिए तयम्मुम करे गा।

५. अगर मरीज़ ऐसे स्थान पर है जहाँ वह पानी और मिट्टी नहीं पाता है, और न ही कोई दूसरा आदमी उसे लाने वाला है तो वह यथा सम्भव नमाज़ पढ़े गा, उसके लिए नमाज़ को उसके समय से विलम्ब करना जाईज़ नहीं है; क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ﴾

“तुम से जितना हो सके अल्लाह से डरो।”
(सूरतुत-तग़ावुन: १६)

६. वह मरीज़ जो सलसुल-बौल का शिकार है या बराबर खून निकलने या हवा खारिज होने की शिकायत से पीड़ित है और उपचार करने के बावजूद ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे आदमी को चाहिये कि हर नमाज़ के लिए उसका समय प्रवेश करने के बाद वुजू करे, और अपने शरीर और कपड़े में लगी हुई गंदगी को धुल ले, या अगर उसके लिए आसान हो

तो नमाज़ के लिए एक पाक साफ कपड़ा रखें;
क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

“अल्लाह तआला ने दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी है।” (सूरतुल-हज्जः ७८)

तथा फरमाया:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ﴾

﴿الْعُسْرَ﴾

“अल्लाह तुम्हारे साथे आसानी चाहता है,
तुम्हारे साथ तंगी नहीं चाहता है।” (सूरतुल
बकरा: १८५)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने फरमाया:

“जब मैं तुम्हें किसी बात का आदेश दूँ तो
अपनी ताक़त भर उसे करो।” (बुखारी)

तथा वह यह सावधानी रखे कि उसके कपड़े या शरीर या नमाज़ की जगह में मल-मूत्र या खून न फैलने न पाये।

जब तक नमाज़ का समय बाकी है उसके लिए जितना भी नमाज़ पढ़ना और मुसहफ लेकर कुरआन की तिलावत करना सम्भव हो कर सकता है, जब नमाज़ का समय निकल जाए तो उस पर दुबारा वुजू करना, या अगर वुजू नहीं कर सकता है तो तयम्मुम करना अनिवार्य है; इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तहाज़ा औरत को हर नमाज़ के समय के लिए वुजू करने का आदेश दिया है, और यह वह औरत है जिसे हैज़ (मासिक धर्म) के अतिरिक्त खून आता रहता है। नमाज़ का समय होने पर वुजू करने के बाद नमाज़ के समय के दौरान जो पेशाब निकलता है उस से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

अगर मरीज़ के शरीर पर पट्टी बंधी हुई है जिसका बंधा रहना आवश्यक है तो वह उस पर वुजू और गुस्ल दोनों हालतों में मसह करेगा और शेष भाग को धुले गा। और अगर पट्टी पर मसह करना या उसके आस पास के भाग को धुलना उसके लिए हानिकारक है तो उस के स्थान की ओर से तथा उस स्थान की ओर से जिस का धुलना उस के लिए हानिकारक है, तयम्मुम करना काफी है।

तयम्मुम हर उस चीज़ से बातिल हो जाता है जिस से वुजू बातिल होजाता है, इसी प्रकार पानी के इस्तेमाल करने पर क़ादिर हो जाने, या अगर पानी उपलब्ध नहीं था तो पानी के मिल जाने पर तयम्मुम बातिल हो जाता है, और अल्लाह ही अधिक जानने वाला है।

मरीज़ की नमाज़ का तरीक़ा

धर्म शास्त्रीयों की इस बात पर सर्व सहमति है कि जो व्यक्ति खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने की ताक़त नहीं रखता है उसके लिए बैठ कर नमाज़ पढ़ना जाईज़ है, अगर वह बैठ कर नमाज़ पढ़ने में असमर्थ है तो वह अपने पहलू पर किल्ला की ओर मुँह कर के नमाज़ पढ़े गा। मुस्तहब यह है कि वह दाहिने पहलू पर (करवट) नमाज़ पढ़े, अगर वह अपने पहलू पर नमाज़ पढ़ने में असमर्थ हो तो चित लेट कर नमाज़ पढ़े; क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम ने इमरान बिन हुसैन से फरमाया:

“खड़े हो कर नमाज़ पढ़ो, अगर इसकी ताक़त नहीं है तो बैठ कर नमाज़ पढ़ो, अगर इसकी भी ताक़त नहीं है तो पहलू पर (करवट) नमाज़ पढ़ो।” (इसे बुखारी ने रिवायत किया है) और

नसाई ने इतना वृद्धि की है : “अगर इसकी ताक़त नहीं है तो चित लेट कर नमाज़ पढ़ो।”

जो व्यक्ति खड़े होने पर क़ादिर हो और रुकूअ़ या सज्दा करने में असमर्थ हो तो उस से कियाम समाप्त नहीं होगा, बल्कि वह खड़े हो कर नमाज़ पढ़े गा और रुकूअ़ के लिए इशारा (संकेत) करेगा, फिर बैठ जाये गा और सज्दे के लिए इशारा करे गा; क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَقُومٌ مُّواْلِيَ اللَّهِ قَبِيتِينَ﴾

“और अल्लाह के लिए बा अदब खड़े रहा करो।” (सूरतुल बक़रः २३८)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है:

“खड़े हो कर नमाज़ पढ़ो।”

तथा अल्लाह तआला का यह फरमान सामान्य है:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا مَا أَسْتَطَعْتُمْ﴾

“तुम से जितना हो सके अल्लाह से डरो।”

(सूरतुत-तग़ावुनः ٩٦)

अगर उसकी आँख में कोई बीमारी है, और कुछ भरोसे मन्द चिकित्सक कहें कि अगर तुम चित लेट कर नमाज़ पढ़ो गे तभी तुम्हारी चिकित्सा करना सम्भव है वरना नहीं - तो उस के लिए चित लेट कर नमाज़ पढ़ना जाईज़ है।

जो व्यक्ति रुकूअ और सज्दा करने में असमर्थ है वह उनको इशारे से करे गा, और सज्दे को रुकूअ से अधिक नीचे करेगा।

और अगर केवल सज्दा करने में असमर्थ है तो वह रुकूअ करे गा और सज्दा के लिए इशारा करे गा।

अगर वह अपनी पीठ को झुकाने की ताक़त नहीं रखता है तो अपनी गर्दन को झुकाए गा, और अगर उसकी पीठ धनुष के आकार की हो और ऐसी हो

गई हो कि मानो वह रुकूअ कर रहा है तो ऐसी अवस्था में जब वह रुकूअ करे गा तो थोड़ा और ज्ञुक जाये गा, और यथा सम्भव सज्दे में अपने चेहरे को रुकूअ से अधिक ज़मीन से निकट कर लेगा।

और जो व्यक्ति अपने सर से इशारा करने की ताक़त न रखता हो, उसके लिए नीयत और कथन काफी है। और जब तक उसकी अक़ल बाकी है किसी भी हालत में उस से नमाज़ माफ नहीं होगी, इसके प्रमाण पहले गुज़र चूके।

जब भी मरीज़ नमाज़ के दौरान उस चीज़ पर क़ादिर हो जाये जिस से वह बेबस था - जैसे कि कियाम, या बैठना, या रुकूअ, या सज्दा या इशारा- तो वह उसकी ओर मुनतक़िल (स्थानांत्रित) हो जाये गा, और जितनी नमाज़ हो चुकी है उसको बरक़रार रखते हुये शेष नमाज़ पूरी करे गा।

अगर मरीज़ या अन्य कोई व्यक्ति नमाज़ के समय सो जाए या उसे भूल जाए तो उस पर अनिवार्य है

कि नीन्द से जागते ही, या उसकी याद आते ही उस नमाज़ को पढ़े, और उसके लिए जाईज़ नहीं है कि उसे उसी के समान नमाज़ का समय आने तक छोड़ दे ताकि उस में नमाज़ पढ़े; क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम का फरमान है:

((مِنْ نَامِ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نِسِيَّهَا فَلِيُصْلِهَا إِذَا
ذَكَرَهَا شَهْرٌ تِلْمِعُ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)))

“जो किसी नमाज़ से सो जाए या उसे भूल जाए तो याद आते ही उस नमाज़ को पढ़े, उसका इसके सिवा कोई कफारा नहीं।”

फिर आप ने अल्लाह तआला के इस फरमान को पढ़ कर सुनाया:

((وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي))

“और मेरे ज़िक्र के लिए नमाज़ क़ाईम करो।”

(ताहा: ٩٨)

किसी भी हालत में नमाज़ छोड़ना जाईज़ नहीं है, बल्कि मुकल्लफ (आकिल व बालिग मुसलमान) पर अनिवार्य है कि अपनी बीमारी के दिनों में स्वास्थ के दिनों से अधिक नमाज़ के लिए उत्सुक हो। चुनांचे उसके लिए जाईज़ नहीं है कि जब तक उसकी बुद्धि ठीक है फर्ज़ नमाज़ को छोड़ दे यहाँ तक कि उसका समय निकल जाए, चाहे वह बीमार ही क्यों न हो। बल्कि उस पर अनिवार्य है कि अपनी शक्ति अनुसार उसे उसके ठीक समय पर अदा करे। अगर उस ने बुद्धिमान होने और नमाज़ की अदायगी की ताकत रखने के उपरान्त चाहे इशारे ही से क्यों न हो, जान बूझ कर उसे छोड़ दिया तो वह गुनहगार है, बल्कि धार्मिक विद्वानों (उलमा) का एक समूह इस बात की ओर गये हैं कि वह इसके कारण काफिर हो जाये गा; क्योंकि नबी سल्लल्लाहु अलौहि वसल्लम का फरमान है:

((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر))

“हमारे और उन (काफिरों एवं मुशिरकों) के बीच जो पैमान है वह नमाज़ है, जिस ने उसे छोड़ दिया उस ने कुफ़ किया।” (त्रिमिज़ी)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((رَأْسُ الْأَمْرِ إِلَّا إِسْلَامٌ، وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ
سَنَامَةِ الْجَهَادِ))

“तमाम मामलों का प्रधान इस्लाम है, और उसका स्तम्भ नमाज़ है और उसके कौहान की चोटी (बुलन्दी) अल्लाह के मार्ग में जिहाद (संघर्ष) करना है।” (मुसनद अहमद)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنِ الشَّرِكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ
الصَّلَاةِ))

“(मुसलमान) आदमी के बीच और कुफ़ और शिर्क के बीच अन्तर नमाज़ का छोड़ देना है।” (सहीह मुस्लिम)

और यही कौल अधिक सही है; जिसका प्रमाण नमाज़ के विषय में आने वाली आयतें और उपरोक्त वर्णित हदीसें हैं।

अगर बीमार के लिए प्रत्येक नमाज़ को उसके समय पर पढ़ना कठिन हो तो उसके लिए जुहर और अस्त्र को तथा मग्हिब और इशा को एक साथ पढ़ना जाईज़ है और जिस प्रकार भी उसके लिए आसान हो उसे जमा तक्रीम या जमा ताखीर कर सकता है, अगर चाहे तो अस्त्र को जुहर के समय में आगामी ही पढ़ ले और चाहे तो जुहर को अस्त्र के समय तक विलम्ब कर के दोनों को एक साथ पढ़े, और अगर चाहे तो इशा को मग्हिब के समय में आगामी ही पढ़ ले और चाहे तो मग्हिब को इशा के समय तक विलम्ब कर के दोनों को एक साथ पढ़े, किन्तु फज्ज की नमाज़ को न उस से पहले वाली नामज़ के साथ एकत्र कर सकते हैं और न ही उसके बाद वाली नमाज़ के साथ; क्योंकि उसका समय उस से

पहले और उसके बाद वाली नमाज़ (के समय) से अलग है।

बीमार की तहारत और नमाज़ से संबंधित यह कुछ संछिप्त बातें थीं।

अल्लाह सुब्भानहु व तआला से प्रार्थना है कि वह मुसलमानों के बीमारों को स्वास्थ्य दे और उनके गुनाहों को मिटा दे, और हम सभी को लोक व प्रलोक में क्षमा और कुशलता से सम्मानित करे, वह बड़ा दान शील और बहुत दयालू है।

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهٖ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَأَتَبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الْدِينِ.

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*

*atazia75@gmail.com